महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़

Email- registrar.msduniversity.azamgarh@gmail.com
Website: www.msdsu.ac.in

पत्रांकः– 1654 / कु0का0 / 2023 दिनांकः 07 / 06 / 2023

सेवा में,

प्राचार्य / प्राचार्या
समस्त महाविद्यालय
सम्बद्ध महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्याल, आजमगढ़।

विषयः– दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना नियमावली के प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में निदेशालय समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश के पत्रांकः c-1595 / स0क0 / शिक्षा–अ / 03 / 241 / 2023–24 दिनांकः 02, जून 2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा अवगत कराया गया हैं कि वर्ष 2016–17 में प्रख्यापित सामान्य वर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना नियमावली व उसके उपरांत कतिपय संशोधनों तथा वर्ष 2021–22 में प्रख्यापित अनुसूचित जाति / जनजाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना नियमावली में उल्लिखित नियमों के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश समय–समय पर दिये गये हैं। आपके स्तर से नियमावली के सम्पूर्ण प्राविधानों का अनुपालन किया जाना है, इस क्रम में नियमावली के निम्नलिखित कतिपय बिन्दुओं (सूची संलग्न)पर विशेष ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आप द्वारा प्रतिवर्ष नियमावली में उल्लिखित सभी नियमों तथा उल्लिखित बिन्दुओं का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।

संलग्नक–उक्तवत्

भवदीय

(प्रो0 शर्वेश पाण्डेय)
कुलसचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–निजी सचिव कुलपति को, माननीय कुलपति जी के सूचनार्थ।

कुलसचिव

ई–मेल/शीर्ष प्राथमिकता

निदेशालय समाज कल्याण उत्तर प्रदेश।

पत्रांक– C-1595 /स0क0/शिक्षा–अ/03/241/2023–24

लखनऊः दिनांकः 02 जून, 2023

1– समस्त मण्डलीय उप निदेशक,
समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश।

2– समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

विषयः–दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना नियमावली के प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।

आप अवगत हैं कि वर्ष 2016–17 में प्रख्यापित सामान्य वर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना नियमावली व उसके उपरांत कतिपय संशोधनों तथा वर्ष 2021–22 में प्रख्यापित अनुसूचित जाति/जनजाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना नियमावली में उल्लिखित नियमों के अनुसार कार्यवाही किये जाने के निर्देश समय–समय पर दिये गये हैं। आपके स्तर से नियमावली के सम्पूर्ण प्राविधानों का अनुपालन किया जाना है इस क्रम में नियमावली के निम्नलिखित कतिपय बिन्दुओं पर विशेष ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है :–

1– जिन शिक्षण संस्थानों/पाठ्यक्रमों में अखिल भारतीय अथवा राज्य स्तरीय प्रवेश परीक्षा के माध्यम से काउन्सिलिंग के तहत प्रवेश की कार्यवाही की जाती है ऐसे पाठ्यक्रमों में यदि कोई छात्र जिसने प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु आवेदन तक नहीं किया है, को मैनेजमेन्ट कोटा के अन्तर्गत आच्छादित किया गया है। मैनेजमेन्ट कोटा के छात्रों को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति अनुमन्य नहीं है।

2– प्राविधिक शिक्षा परिषद के अन्तर्गत संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ0प्र0 द्वारा पालीटेक्निक संस्थानों में प्रवेश हेतु राज्य स्तरीय प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाती है जिसमें 03 वर्षीय डिप्लोमा इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम के साथ–साथ 02 वर्षीय डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम भी सम्मिलित हैं। डिप्लोमा इंजीनियरिंग व डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम में यदि कोई छात्र प्रवेश परीक्षा में आवेदन किये बिना सीधे किसी शिक्षण संस्थान में प्रवेश लेता है तो वह मैनेजमेन्ट कोटा से आच्छादित होगा।

3– कतिपय जनपदों द्वारा पृच्छा की जाती है कि किसी पाठ्यक्रम में मैनेजमेन्ट कोटा के अन्तर्गत प्रथम वर्ष में आच्छादित छात्र पाठ्यक्रम के अन्य वर्षों में भी मैनेजमेन्ट कोटा के छात्र रहेंगे अथवा नहीं, के क्रम में अवगत कराना है कि मैनेजमेन्ट कोटा

से आच्छादित छात्र पाठ्यक्रम के सम्पूर्ण अवधि में मैनेजमेन्ट कोटा के ही छात्र माने जायेंगे।

4— नियमावली में प्राविधान है कि छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना में शिक्षण संस्था द्वारा गलत सूचना भरने, संस्था में छात्रों के अध्ययनरत न पाये जाने, संस्था द्वारा छात्र/छात्रा के किसी अन्य संस्थान में अध्ययनरत होते हुए भी अपने संस्थान से आवेदन सत्यापित एवं अग्रसारित करना, छात्रों द्वारा माता–पिता की वास्तविक आय छिपाकर फर्जी आय के आधार पर आवेदन करना, छात्रों द्वारा झूठा घोषणा पत्र प्रस्तुत करना, कूटरचित अभिलेखों के आधार पर छात्र/संस्थान द्वारा शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन करना एवं संस्थान द्वारा फर्जी आवेदन को सत्यापित एवं अग्रसारित करना आदि अनियमितता पाये जाने पर सम्बन्धित छात्रों/शिक्षण संस्थानों के संचालकों/प्रधानाचार्यों/शिक्षण संस्थानों के नोडल अधिकारियों आदि के विरूद्ध सुसंगत धाराओं में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने एवं गबन की गयी धनराशि की वसूली जिलाधिकारी के माध्यम से किये जाने का प्राविधान है। नियमावली में यह भी प्राविधान है कि छात्रों एवं शिक्षण संस्थाओं को काली सूची में दर्ज कराने, मान्यता एवं सम्बद्धता समाप्त किये जाने की संस्तुति जिलाधिकारियों के माध्यम से की जाय। इस सम्बन्ध में शिक्षण संस्थानों में बरती जा रही अनियमितताओं की जांच एवं कार्यवाही समय–समय पर आपके स्तर से की जानी चाहिये।

5— निमयावली के नियम–17 में जनपद स्तर पर छात्रवृत्ति योजना के अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण किये जाने हेतु जिलाधिकारी की अध्यक्षता में 10 सदस्यीय समिति गठित की गयी है। उक्त समिति नियमावली के प्राविधान के अनुसार पाठ्यक्रम में शुल्क प्रतिपूर्ति प्राप्त करने वाले प्रत्येक छात्र का प्रतिवर्ष परीक्षा में शामिल परीक्षार्थियों की संख्या एवं परीक्षाफल आदि का सत्यापन किया जायेगा। पाठ्यक्रमों में अनुमोदित सीटों के सापेक्ष 30 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्रों का प्रवेश लेने वाली व विभिन्न पाठ्यक्रमों के अन्तर्गत शुल्क प्रतिपूर्ति की रू0 01 करोड़ से अधिक मांग वाली निजी शिक्षण संस्थाओं का सत्यापन करने का भी प्राविधान है। उक्त नियमों का पालन करते हुए प्रतिवर्ष रिपोर्ट निदेशक, समाज कल्याण को उपलब्ध कराया जाना चाहिये किन्तु आपके स्तर से कोई भी रिपोर्ट प्राप्त नहीं हो रही है। यह अत्यन्त खेदजनक स्थिति है।

6– नियमावली में प्राविधान किया गया है कि यदि किसी संस्थान में नवीनीकरण के छात्रों का प्रतिशत 50 प्रतिशत से कम है तो प्राप्त की गयी धनराशि संस्था को वापस करनी होगी। इसका भी गहन सत्यापन किया जाय।

7– वर्ष 2020–21 से छात्रों के आधार नम्बर अनिवार्य किये गये हैं। आनलाइन आवेदन पत्र में छात्रों द्वारा भरे गये आधार नम्बर का आथेन्टिकेशन होने के पश्चात ही आवेदन पत्र अग्रसारित होगा। इस सम्बन्ध में छात्रों के हाई–स्कूल अंकपत्र में दिये गये नाम, पिता का नाम एवं जन्म तिथि के आधार पर आधार कार्ड बनवाया जाना आवश्यक है। यदि किसी छात्र का आधार कार्ड बन गया है और उसमें त्रुटि है तो उसे हाई–स्कूल अंकपत्र में दिये गये डाटा के आधार पर आधार कार्ड को अपडेट किया जाना है। यदि किसी माता–पिता की पुत्री का विवाह हो गया है तो आधार कार्ड में पति का नाम एवं ससुराल के पते को अपडेट कराया जाना है। यदि आधार कार्ड में छात्र का नाम, जन्म तिथि अथवा आधार नम्बर मिसमैच होगा तो आधार नम्बर आथेन्टिकेट न होने के कारण आवेदन पत्र अग्रसारित नहीं होगा। इस कम में आपके स्तर से प्रत्येक शिक्षण संस्थान में कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर विस्तृत जानकारी दी जानी है। शिक्षण संस्थानों को निर्देशित कर दिया जाय कि जिन छात्रों के आधार कार्ड नहीं हैं उन्हें युद्धस्तर पर बनवा लिया जाय तथा आधार कार्ड में गलत डाटा है तो उसे अपडेट करा लिया जाय।

8– नियमावली में प्राविधान है कि यदि कोई छात्र पाठ्यक्रम का अध्ययन छोड़ देता है तो उस छात्र को पाठ्यक्रम में विगत वर्ष में भुगतान की गयी धनराशि को वापस करनी होगी। इस कम में जनपद के प्रत्येक शिक्षण संस्थान का कड़ाई से सत्यापन करते हुए नियम का अनुपालन किया जाय।

9– वर्ष 2020–21 से जिला समाज कल्याण अधिकारी के साथ–साथ छात्रवृत्ति का कार्य देख रहे पटल सहायक के डिजिटल सिग्नेचर से संयुक्त रूप से मास्टर डाटा एवं अन्य डाटा को लॉक किये जाने की कार्यवाही का प्राविधान किया गया है। छात्रवृत्ति का डाटा लाक करने की कार्यवाही आपके कार्यालय में कम्प्यूटर आपरेटर से करायी जाती है। इसलिए छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति में किसी भी अनियमितता के लिए तीनों समान रूप से उत्तरदायी होंगे।

10– निदेशालय में उपस्थित होकर अधिकांश छात्रों द्वारा यह शिकायत की जाती है कि संस्थान में पढ़ाने वाले अध्यापक एवं प्राचार्य सम्बन्धित पाठ्यक्रम में पढ़ाने हेतु निर्धारित शैक्षिक

अर्हता को पूर्ण नहीं करते हैं तथा कई अध्यापक एक से अधिक संस्थानों में पढ़ाने जाते हैं। उल्लेखनीय है कि निजी क्षेत्र के शिक्षण संस्थानों को सरकार से किसी प्रकार का अनुदान प्राप्त नहीं होता है यह संस्थान विभिन्न वर्गों के छात्र/छात्राओं के माध्यम से प्राप्त शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि से संस्थान के फैकल्टी सदस्यों को वेतन आदि भुगतान करते हैं। कल्याण सेक्टर के विभागों द्वारा पात्र छात्र/छात्राओं को शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि उनके बैंक खातों में अंतरित की जाती है। विश्वविद्यालयों/एफिलियेटिंग एजेंसियों द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप अध्यापक की नियुक्ति न कर केवल दिखावे के लिए अध्यापक को रखना अथवा एक ही अध्यापक को एक से अधिक संस्थानों में नियुक्त करने से यह स्पष्ट हो रहा है कि संस्थानों द्वारा विभागों के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त शासकीय धनराशि को गबन/अनियमितता करने के उद्देश्य से प्राप्त की जा रही है। यह स्थिति अत्यन्त चिन्तनीय है।

इस सम्बन्ध में समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारियों का यह दायित्व है कि वे प्रतिवर्ष शिक्षण संस्थानों का स्थलीय सत्यापन करना चाहिये, ताकि शुल्क प्रतिपूर्ति के रूप में छात्रों के माध्यम से शिक्षण संस्थानों को प्राप्त हो रही शासकीय धनराशि की अनियमितता रोकी जा सके। परीक्षण में अनियमितता करने वाले शिक्षण संस्थानों का विवरण जिलाधिकारी के माध्यम से संस्थानों के विरूद्ध कार्यवाही का प्रस्ताव सम्बन्धित निदेशालयों को उपलब्ध करायें ताकि पाठ्यक्रमों/शिक्षण संस्थानों से सम्बन्धित विश्वविद्यालयों एवं एफिलियेटिंग एजेंसियों व सम्बन्धित शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन को कार्यवाही हेतु प्रस्ताव भेजा जा सके।

11— गत वर्ष विभिन्न पाठ्यक्रमों में शुल्क लॉक किये जाने के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश दिये गये थे। उक्त दिशा–निर्देशों का वर्तमान सत्र में भी कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय। राज्य विश्वविद्यालयों से सहयुक्त निजी क्षेत्र के संस्थानों में संचालित जिन पाठ्यक्रमों में विश्वविद्यालय की कार्य परिषद से पाठ्यक्रमवार निर्धारित शुल्क का सम्बन्धित शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन से अनुमोदन प्राप्त नहीं हुआ है उन पाठ्यक्रमों में नियमावली के नियम–5 के अनुसार कार्यवाही करायी जाय। यदि किसी विश्वविद्यालय से अथवा किसी निजी शिक्षण संस्था से विश्वविद्यालय स्तर से निर्धारित शुल्क का पत्र प्राप्त होता है तो उनसे उस पाठ्यक्रम में निर्धारित शुल्क के क्रम में उच्च शिक्षा विभाग/प्राविधिक शिक्षा विभाग/कृषि शिक्षा विभाग

आदि के अनुमोदन की प्रति भी मांगी जाय। प्रति प्राप्त होने पर ही शुल्क लॉक करने की कार्यवाही की जाय।

12– विगत कई शिक्षा सत्रों से आपके स्तर से नवीन पाठ्यक्रमों को कोर्स मास्टर में सम्मिलित करने का प्रस्ताव प्राप्त होता रहा है। अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय स्तर से कैम्पस में अथवा किसी शिक्षण संस्थान में नवीन पाठ्यक्रम संचालित करने का पत्र देते हुए कोर्स मास्टर में सम्मिलित करने का अनुरोध किया जाता है तो इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय से सम्बन्धित नवीन पाठ्यक्रम को संचालित करने हेतु उच्च शिक्षा विभाग/प्राविधिक शिक्षा विभाग/कृषि शिक्षा विभाग आदि के अनुमोदन की प्रति भी मांगी जाय। प्रति प्राप्त होने पर ही नवीन पाठ्यक्रम को कोर्स मास्टर सम्मिलित करने हेतु निदेशालय में प्रस्ताव प्रेषित किया जाय।

13– विभिन्न जांचों में यह पाया जा रहा है कि आप द्वारा शिक्षण संस्थानों/छात्रों का भौतिक सत्यापन नहीं किया जा रहा है तथा शिक्षण संस्थानों की मान्यता व उनकी मान्यता की निरन्तरता का भी परीक्षण नहीं किया जा रहा है जिसके कारण मान्यताविहीन अथवा गलत मान्यता वाले शिक्षण संस्थान आपकी लापरवाही/उदासीनता के कारण छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि अनियिमित रूप से प्राप्त कर रहे हैं। इस सम्बन्ध में आपके स्तर से जिलाधिकारी के सहयोग से समस्त निजी क्षेत्र की शिक्षण संस्थानों का समय–समय पर भौतिक एवं अभिलेखीय सत्यापन किया जाय ताकि छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की शासकीय धनराशि की अनियमितता/गबन को रोका जा सके।

14– प्रदेश में छात्र/छात्राओं को विभिन्न पाठ्यक्रमों में शासन द्वारा निर्धारित 75 प्रतिशत न्यूनतम उपस्थिति होने पर ही छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा स्वीकृति के उपरांत भुगतान की जाती है। इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेंसी तथा सहयुक्त शिक्षण संस्थानों में छात्र/छात्राओं के आधार आधारित बायोमैट्रिक उपस्थिति प्रणाली की व्यवस्था श्रीट्रान इण्डिया लिमिटेड के माध्यम से कराये जाने की कार्यवाही की जा रही है। इस सम्बन्ध में शासन स्तर पर निर्णय लिया गया है कि आधार आधारित बायोमैट्रिक उपस्थिति प्रणाली को शिक्षण संस्थानों में स्थापित करने में प्रतिछात्र प्रतिवर्ष होने वाले व्यय को सम्बन्धित शिक्षण संस्थान द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा।

15– वित्तीय वर्ष 2022–23 में प्रदेश के समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारियों द्वारा शिक्षण संस्थानों के जिन छात्र/छात्राओं का डाटा स्वीकृत किया गया था, उन डाटा का निदेशालय स्तर पर परीक्षण में पाया गया कि अत्यधिक संख्या में छात्र नियमावली के प्राविधानों के अनुसार पात्र नहीं थे, यथा– हाईस्कूल उत्तीर्ण करने के उपरांत निर्धारित समय–सीमा 06 वर्ष के पश्चात आई0टी0आई0 के छात्रों का डाटा की स्वीकृति, मैनेजमेन्ट कोटा के छात्रों की स्वीकृति, अनुसूचित जाति छात्रों हेतु कतिपय पाठ्यक्रमों में निर्धारित 50 प्रतिशत अंक की बाध्यता, सामान्य वर्ग में 55 प्रतिशत अंक की बाध्यता के विपरीत इससे कम अंक वाले छात्रों की स्वीकृति, आनलाइन डाटा में छात्रों की 75 प्रतिशत से कम उपस्थिति होने पर स्वीकृति, विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेंसी स्तर से छात्र के सत्यापित न होने पर भी छात्रों के डाटा पर स्वीकृति, गत वर्ष का परीक्षाफल घोषित न होने पर भी अग्रेतर वर्ष में डाटा पर स्वीकृति प्रदान की गयी है, जो पूर्णतया आपकी उदासीनता एवं लापरवाही का द्योतक है। इस प्रकार के डाटा को गहनता से परीक्षण किया जाना चाहिये था।

16– वर्तमान में 03 जनपदों क्रमशः लखनऊ, हरदोई व फर्रूखाबाद में 10 शिक्षण संस्थानों की प्रवर्तन निदेशालय, भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा संयुक्त पुलिस आयुक्त, लखनऊ कमिश्नरेट, लखनऊ की टीम द्वारा छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति में अनियमितता की जांच की जा रही है। उक्त जांच में यह परिलक्षित हो रहा है कि शिक्षण संस्थानों में फर्जी छात्रों को प्रवेश दिखाकर फिनो पेमेन्ट बैंक को घोटाले में सम्मिलित कर बड़े पैमाने पर अनियमितता की गयी है। जांच में यह भी पाया जा रहा है कि शिक्षण संस्थानों को प्राप्त वास्तविक मान्यता व मास्टर डाटा में दर्ज नाम में भिन्नता है अथवा संस्थानों को मान्यता प्राप्त नहीं है फिर भी मास्टर डाटा में जनपद स्तर से अनियमितता करके नाम सम्मिलित कराया गया है। ऐसे प्रकरणों की गहन छानबीन/विवेचना आपके स्तर से की जानी है।

17– नियमावली के प्राविधानों/नियमों तथा उल्लिखित निर्देशों के क्रम में जांच हेतु निम्नलिखित समिति गठित की जाती है :–

1– सम्बन्धित मण्डलीय उप निदेशक, स0क0 – अध्यक्ष
2– सम्बन्धित जिला समाज कल्याण अधिकारी – सदस्य सचिव
3– सम्बन्धित जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) – सदस्य
4– सहायक विकास अधिकारी – सदस्य
5– समाज कल्याण पर्यवेक्षक – सदस्य
6– ग्राम विकास अधिकारी – सदस्य

उक्त समिति द्वारा जांच/गहन छानबीन/विवेचना करके जांच आख्या प्रत्येक दशा में दिनांक 30–06–2023 तक निदेशक, समाज कल्याण के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आप द्वारा प्रतिवर्ष नियमावली में उल्लिखित सभी नियमों तथा उपरोक्त उल्लिखित बिन्दुओं का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा। यदि उक्त समिति द्वारा जांच रिपोर्ट में अथवा किसी जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा अनियमितता न पाये जाने की सूचना प्रेषित की जाती है अथवा जांच रिपोर्ट/सूचना उपलब्ध नहीं करायी जाती है, किन्तु बाद में किसी प्रकार की शिकायत प्राप्त होने पर जांचोपरान्त अनियमितता पायी जाती है तो शिक्षण संस्थान के साथ–साथ जांच समिति के सम्बन्धित अध्यक्ष/सदस्य तथा जिला समाज कल्याण अधिकारी, पटल सहायक एवं छात्रवृत्ति का कम्प्यूटर आपरेटर पूर्णतया उत्तरदायी होंगे।

(पवन कुमार)
निदेशक

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक उपरोक्तानुसार।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन, समाज कल्याण अनुभाग–3
2– निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण/अल्पसंख्यक कल्याण/जनजाति विकास विभाग, उत्तर प्रदेश।
3– समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4– समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5– समस्त कुल सचिव/सचिव/निदेशक, केन्द्रीय/राज्य/निजी विश्वविद्यालय, एफिलियेटिंग एजेंसी को नियमानुसार कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(पवन कुमार)
निदेशक